राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

अपील संख्या :–1333/2024

राम प्रसाद मीणा (कर्मचारी आई.डी.:–आरजेकेओ201327024486)

–अपीलार्थी

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये प्रमुख शासन सचिव, पशुपालन विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
2. निदेशक, पशुपालन विभाग, जयपुर, राजस्थान।

–प्रत्यर्थीगण

आदेश की दिनांक : 27.03.2024

उपस्थित –

अपीलार्थी की ओर से : श्री संदीप कलवानिया, अधिवक्ता

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री हेमन्त धारीवाल, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य(न्यायिक)
चेतन राम देवड़ा, सदस्य

आदेश

1. मामले की आवश्यक प्रकृति को देखते हुए राजस्थान सिविल सेवा (सेवा मामलों के लिए अपील अधिकरण) अधिनियम, 1976 की धारा–4ए के उपबन्ध में शिथिलिता प्रदान करने की प्रार्थना स्वीकार कर अपील पर सुनवाई की गई।
2. अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता ने यह तर्क दिया है कि अपीलार्थी वर्तमान में पशुधन सहायक के पद पर राजकीय पशु चिकित्सालय, दुगारी जिला बूंदी में कार्यरत है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 (अनुलग्नक–1) के द्वारा वर्तमान पदस्थापित स्थान से उपकेन्द्र बलाना, पाली में किया गया है। अपीलार्थी के अधिवक्ता का मुख्य रूप से तर्क है कि आलौच्य आदेश बिना प्रशासनिक आवश्यकता के जारी किया गया है और अपीलार्थी के स्थान पर अन्य किसी कार्मिक को नहीं लगाया गया है तथा अपीलार्थी का पद रिक्त रखा गया है। उनका यह भी तर्क है कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है, जिसका स्थानांतरण 400 किमी. दूर किया गया है, जो उचित नहीं है। अपीलार्थी के एक छोटा बच्चा है। परिवार की देख–रेख की जिम्मेदारी भी अपीलार्थी पर ही है। ऐसे में अपीलार्थी का स्थानांतरण किया जाना उचित नहीं है।
3. हमने अपीलार्थी द्वारा दिये गये तर्कों पर विचार किया।
4. आलोच्य आदेश से प्रकट होता है कि अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक कारणों से किया गया है। अपीलार्थी वर्तमान स्थान पर वर्ष 2016 से कार्यरत है। ऐसे में अपीलार्थी को वर्तमान स्थान पर पर्याप्त समय तक पदस्थापित रखने के पश्चात अपीलार्थी का स्थानान्तरण किया गया है। यह प्रकट नहीं होता कि अपीलार्थी अल्प वेतनभोगी कर्मचारी है। नियोक्ता को अधिकार है कि वह अपने विवेक से यह निर्णय

ले सकता है कि प्रशासनिक आवश्यकता के दृष्टिगत किस कार्मिक की सेवाएं किस स्थान पर लेनी है। नियोक्ता द्वारा लिए गए निर्णय में तभी हस्तक्षेप किया जा सकता, जब वह निर्णय नियम विरूद्ध हो अथवा कोई दुर्भावना से प्रेरित हो। हम आलोच्य आदेश में कोई नियम विरूद्धता या दुर्भावना होना नहीं पाते है। ऐसे में प्रशासनिक आदेश में अधिकरण द्वारा हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। हमारे समक्ष ऐसा कोई तथ्य प्रकट नहीं हुआ है, जिसके आधार पर आलोच्य आदेश में हस्तक्षेप किया जा सके।

5. उपर्युक्त विवेचना के आधार पर हम इस अपील में कोई बल नहीं पाते है। अतः अपील खारिज की जाती है।

(चेतन राम देवड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य(न्यायिक)